प्रतिवेद्य

सुरक्षित

न्यायालय संख्या-58

वाद-रिट ए संख्या-65273 सन् 2015

याचिकाकर्ता-राकेश बिहारी एवं 42 अन्य

प्रतिवादी-उत्तर प्रदेश राज्य एवं 47 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता-कृष्ण मोहन मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता-मु.स्था.अधि., शिव नाथ सिंह

माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार

(संदर्भ: सिविल विविध स्थगन आवेदन संख्या 402328 सन् 2015)

याचिकाकर्ता, जो संख्या में 43 हैं, वे आगरा मंडल, आगरा के विभिन्न प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (1) में प्रभारी/कार्यकारी सचिव के रूप में सेवारत होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता कार्यकारी/कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होने से पूर्व अपनी संबंधित समितियों में लेखाकार का पद संभाल रहे थे। याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं (i) 24 अप्रैल 2015 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति केंद्रीकृत (चौदहवां संशोधन) नियम, 2015(2) को यू.पी. सहकारी समिति अधिनियम, 1965(3) की धारा 29-ए और 122-ए के साथ पढ़े गए 97वें संविधान संशोधन के परे घोषित किया जाए; (ii) विभिन्न पीएसीसीएस में सचिवों के पदों की भर्ती के लिए तीसरे प्रतिवादी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, यू.पी., आगरा मंडल, आगरा द्वारा 6 नवंबर 2015 को जारी विज्ञापन को रद्द करना; (iii) प्रतिवादियों को निर्देश कि वे याचिकाकर्ताओं की सेवा को उनकी संबंधित समितियों में सचिव के पद पर नियमित करें; (iv) प्रतिवादियों को आक्षेपित विज्ञापन के अनुसरण में सचिव के पद पर नियुक्ति करने की कार्यवाही से रोकना।

श्री एच.आर. मिश्रा, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, स्थगन आवेदन पर बल देते हुए, नें निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:

(i) उत्तर प्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (केंद्रीकृत सेवा) नियम, 1976(4) के आधार पर, सभी याचिकाकर्ता केंद्रीकृत सेवा संवर्ग के पुनरुद्धार की तारीख को अस्थायी रूप से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

अवशोषित हो गए, इसलिए, इन पदों को रिक्त नहीं माना जा सकता और आक्षेपित विज्ञापन के अनुसरण में कोई भर्ती नहीं की जा सकती;

(ii) कार्यकारी/कार्यकारी सचिवों के पद यू.पी. सहकारी समिति अधिनियम की धारा 29-ए से संदर्भित हैं, इसलिए, जिला प्रशासनिक समिति नियम, 2015 के अधीन सचिवों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम नहीं होगी।

(iii) याचिकाकर्ताओं की सचिव के पद पर वैध अपेक्षा है।

खंडन में, श्री ओ.पी. सिंह, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रतिवादियों के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता, नें प्रस्तुत किया है:

(i) याचिकाकर्ता अपनी संबंधित पीएसीसीएस में लेखाकार हैं, जो केंद्रीकृत सेवा संवर्ग में एक पद नहीं होने के कारण, इसलिए, सचिवों के पद पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते;

(ii) निरस्त होने से पूर्व बैंक एक्स-संवर्ग विनियम, 2012(6) के अधीन याचिकाकर्ताओं पर कोई अधिकार निहित नहीं हुआ, इसलिए, केंद्रीकृत सेवा संवर्ग के पुनरुद्धार पर, याचिकाकर्ताओं का सचिव के पद पर नियुक्ति/अवशोषण का कोई अधिकार नहीं होगा;

(iii) अंतरिम उपाय के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं को अंतिम राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा।

प्रतिद्वंद्वी तर्क विचार योग्य हैं।

पक्षकारों के तर्क पर ध्यान देने से पूर्व, वैधानिक प्रावधानों की जांच करना प्रासंगिक होगा। पीएसीसीएस में सचिवों की नियुक्ति, सहकारी समिति अधिनियम की धारा 122-ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती है। इसके अनुसरण में, राज्य ने नियम 1976 अधिनियमित किया, जिससे, सचिवों के पदों को केंद्रीकृत सेवाओं के अधीन पद घोषित किया गया। राज्य संवर्ग अधिकारी मुख्य नीति निर्माण निकाय होने के नाते, नियम 1976 के नियम 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (केंद्रीकृत सेवा), विनियम, 1978(6) बनाया। केंद्रीकृत सेवा संवर्ग में पीएसीसीएस के प्रबंध निदेशक/सचिव के पद शामिल थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में केंद्रीकृत सेवा संवर्ग कई कारणों से अव्यावहारिक पाया गया, विशेष रूप से, जिला सहकारी बैंकों के बिगड़ते वित्तीय स्वास्थ्य के कारण, इसलिए, कठोर संशोधन, क्रमशः 2003 और 2004 में लाए गए 11वें और 12वें संशोधनों द्वारा शामिल किए गए,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

इससे, नियम 1976 में संशोधन हुआ। केंद्रीकृत सेवा संवर्ग को 30 जून 2004 को 'मृत संवर्ग' घोषित कर दिया गया, परिणामस्वरूप, संवर्ग सचिवों की भर्ती रोक दी गई। (नियम 23)

12वें संशोधन (30 जून 2004) के अनुसरण में, राज्य संवर्ग अधिकारी ने दिनांक 10 जनवरी 2005 के परिपत्र के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण जारी किए। परिपत्र ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पीएसीसीएस की प्रबंधन समिति (प्रस्तर 5) को वरिष्ठता, योग्यता और कार्य क्षमता के अधीन, मौजूदा कर्मचारियों से अंतरिम/वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार दिया। ऐसे कर्मचारी को कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य करने के लिए तभी नियुक्त किया जा सकता था, जब संवर्ग सचिव निलंबित, बर्खास्त, सेवानिवृत्त या मृत हो गया हो लेकिन अन्यथा नहीं। परिपत्र ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इसलिए, प्रबंधन समिति को नियमित संवर्ग सचिव नियुक्त करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की। याचिकाकर्ता उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अधीन कार्यकारी सचिव नियुक्त होने का दावा कर रहे हैं।

2007 में, यू.पी. अधिनियम 44 सन् 2007 के माध्यम से, सहकारी समिति अधिनियम में धारा 29ए जोड़ी गई जो पीएसीसीएस, केंद्रीय सहकारी बैंकों और शीर्ष बैंक के लिए विशेष प्रावधान बनाती है। वर्तमान विवाद से संबंधित धारा 29-ए का प्रासंगिक भाग निकाला जा रहा है:

> "**29-ए. प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और शीर्ष बैंक के लिए विशेष प्रावधान**-इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान, नियमों और समिति के उप-नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति या केंद्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक की प्रबंधन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों को संपन्न करने के प्रयोजन से आवश्यक और समीचीन हो जिसमें शामिल होगा,-
>
> (क) की शक्ति,-
>
> (i) .....से (vi) तक .....
>
> (vii) आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में मौजूदा जनशक्ति संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करना और कम से कम प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जनशक्ति नियोजन की प्रक्रिया या प्रगति में बाधाओं पर विचार करना और उन्हें दूर करना;

Translated Version: Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

(viii) समिति के व्यवसाय को संचालित करने के लिए अधिकारियों या अन्य स्टाफ की नियुक्ति करना और इस अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों, सेवा शर्तों, छुट्टी रियायतों और अनुशासनात्मक मामलों को परिभाषित करना;"

यह बल दिया जा रहा है कि धारा 29-ए (viii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिनांक 10 जनवरी 2005 के परिपत्र के साथ पढ़े जाने पर प्रबंधन समिति को अन्य बातों के साथ-साथ कार्यकारी सचिवों की नियुक्ति की शक्तियां प्रदान की गईं। बाद में, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा जारी दिनांक 27 सितंबर 2011 के परिपत्र के माध्यम से, प्रभारी सचिव (कार्यकारी सचिव) की संज्ञा को 'सचिव (गैर-संवर्ग)' में बदल दिया गया।

दिनांक 19 सितंबर 2012 के बाद के शासनादेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने 26 सितंबर 2012 को एक नया परिपत्र जारी किया, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी मौजूदा स्टाफ के चयन/स्क्रीनिंग के लिए दो चरणों में संपन्न की जाने वाली तंत्र प्रदान करते हुए। पहले चरण में, चयन समिति बैंक के अतिरिक्त स्टाफ और पीएसीसीएस के संवर्ग सचिव की स्क्रीनिंग के बाद सचिवों के एक्स-संवर्ग पद भरेगी। दूसरे चरण में, पीएसीसीएस में मौजूदा कार्यकारी/कार्यकारी सचिवों की स्क्रीनिंग पर विचार किया जाना था। उपर्युक्त शासनादेश और बाद के परिपत्र को इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाओं में चुनौती दी गई, जिसमें, रजिस्ट्रार को विनियम बनाने की स्वतंत्रता दी गई, जबकि परिपत्रों के प्रभाव और संचालन को रोक दिया गया।

सहकारी समिति अधिनियम की धारा 121(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने विनियम 2012 अधिसूचित किया जो, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करता है कि प्रत्येक पीएसीसीएस के लिए एक सचिव होगा, जो बैंक का 'एक्स-संवर्ग' कर्मचारी होगा। विनियम 2012 ने आगे दो चरणों में एक्स-संवर्ग पर योग्य व्यक्तियों के चयन की तंत्र प्रदान की। स्क्रीनिंग के पहले चरण में, संवर्ग सचिव/बैंक के अतिरिक्त स्टाफ को एक्स-संवर्ग में शामिल किया जाना था; दूसरे चरण में, न्यूनतम योग्यता रखने वाले, 10 साल का कार्य अनुभव रखने वाले प्रभारी सचिवों सहित पीएसीसीएस के कर्मचारियों को शामिल किया जाना था। इसके अनुसरण में, राज्य भर में रजिस्ट्रार द्वारा सचिव निसंवर्ग के पद भरने के लिए स्क्रीनिंग का कार्य किया गया, हालांकि, आगरा मंडल सहित कुछ मंडलों में, विनियम 2012 के निरसन तक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया लंबित रही, इसलिए, याचिकाकर्ता संशोधित नियमों के अधीन नियमित चयन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

किए जाने से पूर्व सचिव एक्स-संवर्ग के पद पर अपने समावेश का दावा करते हैं। नियम, 2015 अर्थात् 14वें संशोधन के अधिनियमन के साथ जिसने नियम 1976 में संशोधित नियम 23 जोड़कर केंद्रीकृत सेवा संवर्ग को पुनर्जीवित किया। नियम, 2015, अन्य बातों के साथ-साथ, आगे प्रावधान करते हैं कि संवर्ग सचिव और निसंवर्ग सचिव जो विनियम, 2012 से आच्छादित थे, को भी केंद्रीकृत सेवा संवर्ग में विलीन माना जाएगा।

सहकारी समिति अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और समय-समय पर जारी परिपत्रों की जांच करने के बाद, मैं अब प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

पीएसीसीएस के सचिव का पद सहकारी समिति अधिनियम की धारा 122-ए की शर्तों में 19 अगस्त 1976 को राज्य सरकार द्वारा निर्मित केंद्रीकृत सेवा का एक पद है। अधिनियम आगे प्रावधान करता है कि केंद्रीकृत सेवा बनाने वाली अधिसूचना की तारीख को कार्यरत सभी सचिव अस्थायी रूप से अवशोषित माने जाएंगे, जो हालांकि, उनके उपयुक्त पाए जाने के अधीन था [उप नियम(3)]। केंद्रीकृत सेवा के सदस्य संवर्ग सचिवों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए, नियम 1976 बनाया गया। नियम 20 ने नियम 1976 के प्रारंभ पर कार्यरत कर्मचारियों के अवशोषण का प्रावधान किया। 12वां संशोधन 30 जून 2004 को अधिसूचित किया गया, जिसने नियम 1976 में संशोधन करके केंद्रीकृत सेवा के संवर्ग को 'मृत संवर्ग' घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीकृत सेवा में नियुक्ति रोक दी गई (नियम 23)। राज्य संवर्ग अधिकारी ने 10 जनवरी 2005 को निर्देश जारी किए कि संवर्ग सचिव के निलंबन, समाप्ति, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में, पीएसीसीएस की प्रबंधन समिति द्वारा मौजूदा कर्मचारियों से, उनकी वरिष्ठता, योग्यता और कार्य दक्षता के अधीन, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। परिपत्र ने, हालांकि, प्रबंधन समिति को सचिवों की नियुक्ति करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की, यह केवल उपरोक्त उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर एक अंतरिम व्यवस्था थी। परिपत्र को यू.पी. सहकारी समिति नियम 1968 के नियम 127 के अनुकूल पढ़ा जाना चाहिए जो प्रबंधन समिति को नियम 125 और 126 के अधीन सचिव की नियुक्ति लंबित रहने तक किसी उपयुक्त व्यक्ति को कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है जो धारा 120 के प्रावधानों और सहकारी समिति अधिनियम की धारा 121 या 122 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन है। उप नियम (2) प्रावधान करता है कि उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त कार्यकारी सचिव छह महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियम 125 या 126 के अधीन सचिव की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। यह स्पष्ट होता है कि सचिवों के संवर्ग को 'मृत संवर्ग' घोषित करने पर, इसलिए, संवर्ग सचिव की अनुपस्थिति में, पीएसीसीएस ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए, पीएसीसीएस को वित्तपोषित करने वाले सहकारी बैंकों का नियंत्रण बिगड़ गया, परिणामस्वरूप विनियम 2012 सहकारी समिति अधिनियम की धारा 121 से संदर्भित शक्तियों के प्रयोग में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा 20 दिसंबर 2012 को अधिसूचित किया गया। विनियम 2012 ने चरणों में पीएसीसीएस में कार्यरत सचिव की नियुक्ति/चयन का प्रावधान किया, लेकिन दूसरे चरण की स्क्रीनिंग के दौरान रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने दिनांक 3 नवंबर 2014 के परिपत्र के माध्यम से आगे की स्क्रीनिंग रोक दी जिसके बाद नियम 1976 में नियम 23 को प्रतिस्थापित करने वाला 14वां संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 2015 को अधिसूचित हुआ इस प्रकार, केंद्रीकृत सेवा को पुनर्जीवित किया गया। परिणामस्वरूप, विनियम 2012 को दिनांक 29 अप्रैल 2015 की अधिसूचना द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इस बीच की अवधि में धारा 29-ए को 2007 में सहकारी समिति अधिनियम में जोड़ा गया। धारा 29-ए की उप-धारा (1)(viii) ने प्रबंधन समिति को समिति के व्यवसाय को संचालित करने के लिए अधिकारियों या अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने और अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों, सेवा शर्तों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की। सामान्य पठन पर, यह प्रावधान सहकारी समिति अधिनियम की धारा 122-ए के अधीन निर्मित केंद्रीकृत सेवा के पद पर आवश्यक रूप से लागू नहीं होगा।

याचिकाकर्ता, जो स्वीकृत रूप से लेखाकार थे और पीएसीसीएस के कर्मचारी हैं, को केवल प्रबंधन समिति द्वारा परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर कार्यकारी सचिव के कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया था। कार्यकारी क्षमता में सचिव के कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकारी मेरी राय में केंद्रीकृत सेवा में सचिव के पद पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा जब तक कि पदधारी को नियमों या विनियम, 2012 के अधीन चयनित/नियमितीकृत नहीं किया गया हो। मेरे संज्ञान में कोई प्रावधान नहीं लाया गया कि कार्यकारी सचिव (एक्स-संवर्ग) के रूप में कार्य करने वाला कर्मचारी विनियम 2012 के निरसन पर केंद्रीकृत सेवा में अवशोषित हो सकता है।

सामान्य कानून और नियम के अधीन किसी विधान/प्रावधान के निरसन के परिणाम बहुत कठोर होते हैं। अतीत और बंद हो चुके लेन-देन को छोड़कर, निरसन के बाद एक विधान पूरी तरह से मिट जाता है जैसे कि इसे कभी अधिनियमित ही नहीं किया गया हो। इसका प्रभाव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

Translated Version. Not for Legal Use.

निरस्त विधान के अधीन उत्पन्न हो सकने वाले सभी अपूर्ण अधिकारों और सभी कार्रवाई के कारणों को नष्ट करना है। इसलिए, उन मामलों को छोड़कर जहां निरसन से पूर्व कार्यवाही प्रारंभ की गई, संचालित की गई और अंतिमता तक पहुंचाई गई, निरस्त विधान के अधीन कोई कार्यवाही निरसन के बाद प्रारंभ या जारी नहीं की जा सकती। (**संदर्भ: केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1951 एससी 128; मोहन राज बनाम दिम्बेश्वरी साइकिया और अन्य, एआईआर 2007 एससी 232**)।

धारा 29-ए, जिस पर बहुत बल दिया गया था, केवल अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों के अधीन समिति के अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति में समिति के प्राधिकार को मान्यता देती है। यह शक्ति समिति को एक्स-संवर्ग सचिव की नियुक्ति करने की शक्ति आवश्यक रूप से प्रदान नहीं करती, जो समय-समय पर जारी परिपत्रों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। यह याचिकाकर्ताओं का मामला भी नहीं है कि समितियों के पास एक्स-संवर्ग सचिवों की नियुक्ति के संबंध में निरंकुश शक्तियां हैं, यदि ऐसा होता तो वे 2007 में धारा 29-ए के सम्मिलन के बाद जारी विनियम 2012 के अधीन चयन/अवशोषण का दावा नहीं करते।

आगे, केंद्रीकृत सेवा के पुनरुद्धार पर, यू.पी. सहकारी समिति नियम 1968 का नियम 127 दूसरी ओर प्रबंधन समिति पर धारा 121 या 122 के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसरण में सचिव की नियमित नियुक्ति लंबित रहने तक छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कार्यकारी सचिव की नियुक्ति पर रोक लगाएगा। आक्षेपित संशोधन ने नियम 1976 में नियम 23 जोड़कर केंद्रीकृत सेवा को पुनर्जीवित किया, इसके बाद, रिक्तियों के 50 प्रतिशत पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिए तंत्र प्रदान करते हुए, शेष 50 प्रतिशत पद समितियों के योग्य कर्मचारियों के लिए छोड़े गए। अधिकार, यदि कोई है, जो याचिकाकर्ताओं में निहित होता, यदि वे विनियम 2012 के अधीन नियमितीकृत/चयनित हो गए होते। हालांकि, उनके चयन/नियमितीकरण से पूर्व, विनियम 2012 निरस्त हो गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह दिखाने में असफल रहे कि विनियम 2012 के अधीन प्रारंभ की गई प्रक्रिया निरसन पर याचिकाकर्ताओं को कोई अधिकार प्रदान करेगी। यदि कार्यकारी सचिव का चयन/अवशोषण करने वाले आदेश की जारी के साथ प्रक्रिया पूरी हो गई होती, तो केवल तभी, सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत ऐसे व्यक्ति में निहित अधिकार प्राप्त होता।

अंत में, वैध अपेक्षा का तर्क। 'वैध अपेक्षा', कोई विधिक अधिकार नहीं है। यह लाभ, राहत या उपचार की अपेक्षा है, जो, सामान्यतः किसी वादे या स्थापित प्रथा से प्रवाहित हो सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

यह वैध होनी चाहिए, अर्थात्, उचित, तर्कसंगत और वैध। व्यक्ति केवल विधान और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुकूल वैध अपेक्षा रख सकता है न कि इसके विपरीत। सिद्धांत का आह्वान विधि के विपरीत कुछ करने के लिए नहीं किया जा सकता। [**संदर्भ: राम प्रवेश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2006) 8 एससीसी 381**]

यहां ऊपर बताए गए कारणों से, स्थगन आवेदन तदनुसार, निरस्त किया जाता है।

आदेश तिथि-02.02.2016

केकेएम

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!

<u>न्यायालय संख्या-58</u>

वाद-रिट ए संख्या-65273 सन् 2015

याचिकाकर्ता-राकेश बिहारी एवं 42 अन्य

प्रतिवादी-उत्तर प्रदेश राज्य एवं 47 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता-कृष्ण मोहन मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता-मु.स्था.अधि., शिव नाथ सिंह

<u>माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार</u>

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है और श्री ओ.पी. सिंह ने प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई है।

प्रतिवादी संख्या 6 से 48 को छह सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस निगत हो।

प्रतिवादियों को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रत्युत्तर-शपथपत्र, यदि कोई हो, उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

उसके बाद सूचीबद्ध हो।

आदेश तिथि-02.02.2016

केकेएम

1.पीएसीसीएस

2. नियम, 2015

3. सहकारी समिति अधिनियम

4. नियम 1976

5. नियमावली 2012

6. नियमावली 1978

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!